



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277199
CG-DL-E-16102026-277199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 825]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 896(अ).----- केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनगणना नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. जनगणना नियम, 1990 के नियम 3 की, सारणी में, क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: —

“(i) सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सहायता प्राप्त या असहायता प्राप्त निजी निकायों, सोसायटीयों या न्यासों की किसी शैक्षणिक संस्था के शिक्षक।

(ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी स्थापन (जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर उपक्रम, कानूनी निकाय, बैंक, कंपनियां, संस्थाएं, सोसायटीयां और न्यास भी आते हैं) के लिपिक या कोई अधिकारी।

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, प्रगणक के रूप में कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए उपयुक्त समझे।”

[फा. सं. 9/79/2010- सी.डी. (सैन) पी -1]

मृत्युंजय कुमार नारायण, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.नि. 967(अ), तारीख 31 दिसंबर, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ), तारीख 19 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 458(अ), तारीख 3 जुलाई, 2009, सा.का.नि. 576(अ), तारीख 19 जून, 2018, तथा सा.का.नि. 194(अ), तारीख 11 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of Registrar General, India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

G.S.R. 896(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Census Rules, 1990, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Census (Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Census Rules, 1990, in rule 3, in the Table, against serial number 5, for the entries under column 2, the following entries shall be substituted, namely :-
 - “(i) Teachers of any educational institution of the Government, local authority, aided or unaided private bodies, societies or trusts.
 - (ii) Clerks or any official of the Central Government, State Government, local authority or establishment (including public sector undertakings, statutory bodies, banks, companies, institutions, societies and trusts).
 - (iii) Any person, as the State Government or the Union territory Administration may consider suitable, to perform the duties as an Enumerator.”.

[F. No: 9/79/2010- CD (Cen) P-1]

MRITUNJAY KUMAR NARAYAN, Registrar General of India and Census Commissioner

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 967(E) dated the 31st December, 1990 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 589(E) dated the 19th July, 1994, G.S.R. 458(E) dated the 3rd July, 2009, G.S.R. 576(E) dated the 19th June, 2018 and G.S.R. 194(E) dated the 11th March, 2022.